बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

।। अधिसूचना।।

पटना–01, दिनांक–

सं०सं०–01/श्रम न्याय–01/2024 श्र०सं०................/तत्समय पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, पूर्णियाँ का पद रिक्त रहने के कारण श्रम न्यायालय, पूर्णियाँ में पदस्थापित कर्मियों के वेतनादि की निकासी एवं अन्य वित्तीय कार्य हेतु विभागीय अधिसूचना सं० 22 दिनांक 22.07.2026 द्वारा श्रीमती मीना कुमारी, पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, भागलपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक के लिए श्रम न्यायालय, पूर्णियाँ का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नामित/घोषित किया गया था।

2. विभागीय अधिसूचना सं० 23 दिनांक 24.07.2026 द्वारा श्री दीपक कुमार–III, सिविल जज (वरीय कोटि)–सह–ए०सी०जे०एम०, नवगछिया (भागलपुर) को पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, पूर्णियाँ के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापित किया गया है।

3. बिहार कोषागार संहिता के नियम–84 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यालय प्रधान ही संबंधित कार्यालय के निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी होते हैं।

4. किसी कार्यालय में कार्यालय प्रधान के पदस्थापन के उपरांत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का प्रभार स्वतः कार्यालय प्रधान को प्रभार ग्रहण करने की तिथि से प्राप्त हो जाता है एवं पूर्व में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दिया गया अतिरिक्त प्रभार स्वतः समाप्त हो जाता है।

5. अतः विभागीय अधिसूचना सं० 22 दिनांक 22.07.2026 को रद्द समझा जाय।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(उपेन्द्र प्रसाद)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–01/श्रम न्याय–01/2024.......37......./श्र०सं० पटना–01, दिनांक–10/9/26

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित बिहार गजट में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/पीठासीन पदाधिकारी सभी औद्योगिक न्यायाधिकरण/पीठासीन पदाधिकारी सभी श्रम न्यायालय, बिहार/संबंधित पदाधिकारी/आई०टी० प्रबंधक/(विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/09/2026

सरकार के विशेष सचिव